बिहार विधान संपर्क नियम 1950

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 208 के खंड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल द्वारा बनायी गई राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के बीच परस्पर सम्पर्क संबंधी प्रक्रिया की नियमावली ।

नियमावली

1. यह नियमावली बिहार विधान-मंडल (संपर्क) नियमावली 1950 कहलायेगी।
2. राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के बीच संदेश द्वारा सम्पर्क होगा।
3. विधान-सभा और विधान-परिषद् का हरेक पारस्परिक संदेश लिखित या मुद्रित होगा और उद्भव सदन के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होकर अन्य सदन के सचिव के पास भेजी जायेगी।
4. यदि सदन का सत्र चालू हो तो हरेक संदेश सदन के सचिव सदन को प्रतिवेदित करेंगे, किन्तु यदि सदन का सत्र चालू न हो, तो संदेश प्राप्त होते ही इसकी एक-एक प्रति सदन के हर सदस्य के पास अग्रसारित की जायेगी।
5. जिस सदन को संदेश भेजा जाय वह सदन संदेश की विषय-वस्तु पर अपनी कार्य-नियमावली के अनुसार, कारवाई करेगा।